



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2007/चैत्र 1, 1929

No. 306]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2007/CHAITRA 1, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 418(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट खण्ड के उक्त सारणी के सामने स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लम्बाई किलो मीटर में
1	2	3
12	जबलपुर भोपाल खंड "मध्य प्रदेश राज्य में"	10.20 किलोमीटर से 314.00 किलोमीटर तक

[फा. सं. एनएच-14013/2/2007-पी एण्ड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2007

**S.O. 418(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column 3 of the Table below, of the Section as specified in column 2, of the National Highway as specified in column 1 of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometer
1	2	3
12	Jabalpur-Bhopal Section "In the state of Madhya Pradesh"	Km. 10.20 to Km. 314.00

[F.No. NH-14013/2/2007-P &amp; M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 419(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

## सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [12.60 किमी. से 84.70 किमी. तक (इंदौर कालघाट), 60.000 किमी. से 103.000 किमी. तक (राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से ग्वालियर) और 319.700 किमी. से 332.100 किमी. तक (गुना बाई पास)] सं. 7 [544.000 किमी. से 651.500 किमी. तक (लखनदोन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर] सं. 12 [10.20 किमी. से 314.00 किमी. तक (जबलपुर-भोपाल) सं. 12क, सं. 27, सं. 59, सं. 69, सं. 75 (0.000 किमी. से 90.000 किमी. तक (ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा) को छोड़कर], सं. 76 [0.000 किमी. से 30.000 किमी. तक (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर, सं. 78, सं. 86 [6/6 किलोमीटर से 153 किलोमीटर (भोपाल-देवास खंड) को छोड़कर] और सं. 92 जो मध्य प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59क के भीतर स्थित है।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार।"

[फा. सं. एनएच-14013/2/2007-पी एण्ड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1996(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :

1. संख्यांक का.आ. 1398(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2005;
2. संख्यांक का.आ. 1584(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2005;
3. संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 30 मार्च, 2006;
4. संख्यांक का.आ. 1891(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2006।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2007

S.O. 419(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

#### SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
1	2	3
"13.	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 12.60 to Km. 84.70 (Indore-Kalghat), from Km. 60.000 to Km. 103.000 (Rajasthan/Madhya Pradesh border to Gwalior) and from Km. 319.700 to Km. 332.100 (Guna Bypass)], No. 7 [excluding from Km. 544.000 to Km. 651.500 (Lakhnadon to Madhya Pradesh/Maharashtra border)], No. 12 [excluding from Km. 10.20 to Km. 314.00 Jabalpur-Bhopal), No. 12A, No. 27, No. 59, No. 69, No. 75 [excluding from Km. 0.000 to Km. 90.000 (from Gwalior to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border)], No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km. 30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan border to Shivpuri)], No. 78, No. 86 [excluding from Km. 6/6 to Km. 153 (Bhopal-Dewas section)] and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway No. 59A.	State Government of Madhya Pradesh."

[F. No. NH-14013/2/2007-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**Foot Note :** The principal notificaiton was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and subsequently amended *vide* :

1. Number S.O. 1398(E), dated the 27th September, 2005;
2. Number S.O. 1584(E), dated the 10th November, 2005;
3. Number S.O. 465(E), dated the 30th March, 2006;
4. Number S.O. 1891(E), dated the 2nd November, 2006.